खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) पंजाब और उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में चावल और आसाम में चावल और धान की मूल्य-सीमा लागू है। जम्मू और कश्मीर को छोड़कर देश में बेलन आटा मिलों के लिए चोकर के अलावा, गेहूं से बने अन्य पदार्थों के कारखाने से निकासी के समय मूल्यों की सीमा निर्धारित कर दी गयी है। पश्चिमी बंगाल में आयातित गेहूं और गेहूं से बने पदार्थों की मूल्य-सीमा तथा दिल्ली में गेहूं से बने पदार्थों के खुदरा मूल्यों की सीमा भी इस समय लागू है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

रेल गाड़ियों का देर से चलना

*१५७६. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलों के देर से पहुंचने की शिकायत बढ़ती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कोई विशेष कदम उठाये गये हैं और इस बीच रेलों के ठीक समय पर चलने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ;

(ग) क्या देर से पहुंचने वाली गाड़ियों के ड्राइवर और गार्ड को काम के घंटों से अधिक काम करने के लिये कुछ अतिरिक्त भत्ता भी दिया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-टल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) गाड़ियों के देर से पहुंचने के बारे में कुछ शिकायतें आयी हैं, लेकिन यह कहना संभव नहीं है कि इन शिकायतों में बढ़ती हुई है या नहीं।

(ख) गाड़ियों को ठीक समय पर चलाने के लिये हर सम्भव कोशिश की गयी है और की जा रही है। हालही में बोर्ड ने एक बैठक बुलायी थी, जिसमें इस सवाल पर चर्चा की गयी थी। इस बैठक में उन रेलों के सम्बन्धित अफसरों ने भाग लिया जिनपर हालत कुछ बिगड़ी है। इस बैठक में कुछ ऐसे सिद्धान्तों पर विचार किया गया, जिनको, आजकल की काम की वास्तविक स्थिति के अनुरूप, समय-सारणी बनाते समय ध्यान मे रखा जाना चाहिये। रेल-प्रशासनों को कहा गया है कि अगली समय-सारणी बनाते समय इन सिद्धान्तों को यथासम्भव ध्यान में रखा जाये। गाड़ियों के आने-जाने पर पूरी निगाह रखी जा रही है और आशा है कि निकट भविष्य में इसमें सुधार हो जायेगा।

(ग) और (घ) जी नहीं। यदि वे लोग एक महीने में औसतन २३१ घंट से अधिक ड्यूटी देते हैं तो वे भारतीय रेल अधिनियम, १८९० के उपबन्धों के अनुसार समयोपरि भत्ता (Overtime allowance) पाने के हकदार हैं।

खेतिहर मजदूर

*१५८०. **श्री रामेश्वरानन्द**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ४, जून, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १२५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसानों को खेतिहर मजदूरों की कमी के कारण अधिक अन्न उपजाने में कठिनाई हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो खेतिहर मजदूर किसानों को सहायता देने के लिये किन कारणों से तैयार नहीं होते ; और